राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(212)ग्रावि/ग्रुप–5/पीएमएवाईजी/अभि./बेरों पर निर्माण/2018–19 जयपुर, 17 जुलाई, 2018

जिला प्रमुख,
जिला परिषद्, पाली।

विषय :– बेरों (खेतों में कुओं) पर सड़क, सीसी सड़क व अन्य विकास/निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्र कमांक 1932 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बेरों (खेतों में कुओं) पर सड़क, सीसी सड़क एवं सीसी चौक निर्माण कराये जाने हेतु विशेष परिपत्र जारी कराने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत किये हुए हैं। विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय पत्र कमांक एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्यक्तिगत लाभ के कार्य/2011 दिनांक 04.05.11 व 27.05.2011 के द्वारा जारी किये हुए हैं। इसके अलावा अन्य विकास/निर्माण कार्य निम्नानुसार विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न योजनान्तर्गत अनुमत है :–

1. व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना कार्य" – भूमि सुधार, कृषि वानिकी, उद्यानिकी/जल संरक्षण, लघु सिंचाई (कच्चे धोरे बनाने का कार्य, कच्चे धोरों को पक्का करने का कार्य, फार्मपोण्ड, डिग्गी टांके, जल होज निर्माण, नवीन कूप निर्माण, कूप गहरा करना आदि) जल भराव क्षेत्रों से पानी निकास हेतु नाली निर्माण, चेकडेम आदि कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत है।
2. गांवों एवं ढाणियों में कदमी रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु वो लगातार उपयोग में आ रहे हैं, पर इन रास्तों में खरंजा, सड़क निर्माण कार्य कराया जाना संबंधित काश्तकारों से सहमति, नियमानुसार शपथ लेने के उपरान्त विभिन्न योजनान्तर्गत अनुमत है।
3. राजकीय भूमि के अभाव में, भूमिधारक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में 100/– के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र जारी करने पर निजी भूमि पर पेयजल हेतु ट्यूबवेल, हैडपंप, पानी की टंकी तथा टांका निर्माण कार्य कराया जाना अनुमत है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)(S)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी (आरसी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को अ.शा. टीप मु.मु. विशेषाधिकारी(आरसी)/प–2/ग्राविवि/जय/18/30576 दिनांक 08.06.2018 के कम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. जिला कलक्टर, पाली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली को भेजकर लेख है कि विभिन्न योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी/विवरण मा0 जिला प्रमुख महोदय को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)